



भारतीय मानक ब्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS

व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस

LICENCE FOR THE OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS CERTIFICATION

लाइसेंस सं. ओएच/L-6000027.4

Licence No. OH/L-6000027.4

1. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों के आधार पर, ब्यूरो
By virtue of the power conferred on it by the Bureau of Indian Standards Act 1986 (63 of 1986), the Bureau hereby grants/renews to

केसोराम सिमेंट (प्रो. केसोराम इंडस्ट्रीस लि.)

बसंत नगर

करीमनगर जिला-505 187

तेलंगाना

Kesoram Cement (Prop. Kesoram Industries Ltd)

Basant Nagar

Karimnagar District- 505 187.

Telangana

को (जिन्हें इसके बाद लाइसेंसधारी कहा गया है) इसके साथ लगी अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित उत्पादों और/या सेवाओं या प्रक्रमों के संबंध में ब्यूरो के व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन के लाइसेंसधारियों के रजिस्टर(रों) में उसी संख्या से सूचीबद्ध होने का अधिकार और लाइसेंस प्रदान/नवीकरण करता है, जो इस लाइसेंस की है। इस प्रकार के उत्पाद और/या सेवाएं या प्रक्रम लाइसेंसधारी द्वारा IS 18001:2007 के अनुरूप व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति के अनुसार केवल ऊपर बताए गए पते (पत्तों) पर निर्मित/प्रदत्त/प्रचालित किए जाएंगे।

(hereinafter called the Licensee) the right and licence to be listed in the Bureau's register(s) of Licensees of Occupational Health & Safety Management Systems Certification in respect of the products and/or services or processes particularly described in the schedule hereto, bearing the same number as this licence. Such products and/or services or processes shall be manufactured/provided/carried out by the Licensee at only the address(es) given above, and under the Occupational Health & Safety Management Systems in accordance with IS 18001:2007.

2. यह लाइसेंस इस लाइसेंस का विनियम करने वाले उपरोक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के संबंध प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत/ नवीकृत किया गया और लाइसेंसधारी एतद द्वारा ब्यूरो को उपरोक्त नियमों और विनियमों का विधिवत पालन करने का वचन देता है।

The licence is granted/renewed subject to the relevant provisions of the above Act and the rules and regulations made thereunder governing the licences referred to above, and the Licensee hereby covenants with the Bureau duly to observe with the said Rules and Regulations.

3. यह लाइसेंस 07 नवम्बर 2017 से 02 नवम्बर 2020 तक वैध होगा और इसका विनियमों के अनुसार नवीकरण किया जा सकेगा।

This licence shall be valid from 07 November 2017 to 02 November 2020 and may be renewed as prescribed in the Regulations.

2017 के दिसम्बर माह के 28 दिन हस्ताक्षरित एवं मुहरांकित।

Signed, Sealed and Dated this 28th day of December 2017

उप महानिदेशक (दक्षिण क्षेत्र)

के भारतीय मानक ब्यूरो

Deputy Director General (Southern Region)
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पी.एम. पंतुलु

P.M. PANTULU

उपमहानिदेशक (दक्षिण)

Deputy Director General (South)

भारतीय मानक ब्यूरो

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

चेन्नै/CHENNAI-600 113





O
H
S
M
S

लाइसेंस सं. ओएचए /L-6000027.4 की अनुसूची
Schedule to Licence No. OH/L-6000027.4

जारी: केसोराम सिमेंट (प्रो. केसोराम इंडस्ट्रीस लि.)
पबसंत नगर,
करीमनगर जिला,
तेलंगाना - 505 187.

Issued to: **Kesoram Cement (Prop. Kesoram Industries Ltd)**
Basant Nagar,
Karimnagar District,
Telangana - 505 187.

अनुसूची
SCHEDULE

वे उत्पाद/सेवाएँ/प्रक्रम जिनके संबंध में फर्म को व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रबंध पद्धति प्रमाणन लाइसेंस स्वीकृत/नवीकृत किया गया है :

Products/Services/Processes with respect to which the firm has been granted/renewed the licence for Occupational Health & Safety Management Systems Certification:

All activities related to Manufacturing and supply of Clinker and Cement including Mining operations

उप महानिदेशक (दक्षिण क्षेत्र)
कृते भारतीय मानक ब्यूरो

Deputy Director General (Southern Region)
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

पी.एम. पंतुलु
P.M. PANTULU
उपमहानिदेशक (दक्षिण)
Deputy Director General (South)
भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
चेन्नै/CHENNAI-600 113

